प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

दीवानी अपीलीय अधिकारिता

दीवानी अपील संख्या 9085/2022

(@विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 9558/2020)

(@ डायरी संख्या 16450/2020)

न्यू ओखला इण्ड़स्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथॉरिटी ... अपीलकर्ता

बनाम

ओमवीर सिंह और अन्य ... प्रत्यर्थीगण

निर्णय

न्यायमूर्ति एम.आर. शाह

1. प्रथम अपील डिफेक्टिव संख्या 308/2015 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2020 को पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए नोएडा ने वर्तमान अपील दायर की है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने लगभग 16 साल की अवधि के बाद (अपीलकर्ता के अनुसार, 26 साल की देरी हुई थी) उक्त अपील को खारिज कर दिया है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने भूमि मालिकों को देय मुआवजे को 297 रुपये प्रति वर्ग गज तक बढ़ा दिया है।

2. संक्षेप में, वर्तमान अपील के तथ्य निम्नलिखित हैं:

2.1 यह कि गाजियाबाद जिले (अब जिला गौतम बुद्ध नगर) के तहसील और परगना दादरी के घेजा तिलपाटाबाद गांव में स्थित प्रश्नगत भूमि का अधिग्रहण नोएडा द्वारा नियोजित विकास के लिए किया गया था, जिसके लिए दिनांक 22.11.1982 को धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के प्रावधानों के तहत एक घोषणा 23.11.1982 को जारी की गई थी। अधिग्रहित भूमि का कब्जा राज्य द्वारा 22.02.1983 को ले लिया गया था। भूमि अधिग्रहण अधिकारी/कलेक्टर ने दिनांक 05.09.1983 के अधिनिर्णय की घोषणा की और गाँव में ही भूमि के कुछ हिस्सों के दिनांक 02.11.1982 के विक्रय विलेख के आधार पर प्रति बीघा 30,000/- रुपये का मुआवजा अधिनिर्णीत/निर्धारित किया। प्रत्यर्थियों के पिता ने मुआवजे को स्वीकार कर लिया। मूल मालिकों - प्रत्यर्थियों के पिता की ओर पर, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 18 के तहत अधिनिर्णय के खिलाफ आपत्तियां उठाते हुए एक रेफेरेन्स(संदर्भ) किया गया। मूल दावेदारों ने प्रति बीघा 60,000 रुपये की

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

दर से मुआवजे का दावा किया। 04.05.1989 को एक विस्तृत निर्णय और आदेश द्वारा, संदर्भ न्यायालय ने अन्य संदर्भों के साथ उक्त संदर्भ को खारिज कर दिया। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र दायर किए गए थे जो वर्ष 1998 में खारिज कर दिए गए थे। यह कि वर्ष 2014/2015 में पुनर्विचार आवेदनों के अस्वीकार किए जाने की तारीख से 16 साल की अवधि के बाद, प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान पहली अपील दायर की और कुछ अन्य प्रथम अपीलों में निर्णय पर अलम्ब लिया जिसके द्वारा मुआवजा प्रति वर्ग गज 297 रुपये तक बढ़ा दिया गया था। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने 16 वर्ष की देरी को माफ कर दिया है, हालांकि उन्होनें विलंब की अवधि के दौरान ब्याज से इनकार कर दिया है और मुआवजे की राशि को 297 रुपये प्रति गज तक बढ़ा दिया है। इसलिए नोएडा की ओर से वर्तमान अपील की गयी।

3. नोएडा की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तरीके से कहा है कि उच्च न्यायालय ने पुनर्विलोकन आवेदन के खारिज होने की तारीख से 16 साल की अवधि के बाद और संदर्भ न्यायालय द्वारा निर्णय की तारीख से 26 साल की अवधि के बाद अपील पर विचार करने में वस्तुतः गलती की है।

3.1 यह कहा गया है कि अन्यथा भी, 1982 के भूमि अधिग्रहण के संबंध में **आशा राम (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि और अन्य बनाम उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद और एक अन्य, (2022) 2 एससीसी 567** के मामले में इस न्यायालय के बाद के निर्णय को ध्यान में रखते हुए मेरिट पर भी, इस माननीय

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

न्यायालय ने मुआवजे की राशि को घटाकर 120/– रुपये प्रति वर्ग गज कर दिया है, दावेदार उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 297/– रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजे के हकदार नहीं होंगे।

3.2 यह कहा गया है कि इस प्रकार, **उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (पूर्वोक्त)** के मामले में बाद के निर्णय में, इस न्यायालय ने **नरेंद्र और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2017) 9 एससीसी 4 426** के मामले में अपने पहले के निर्णय पर विचार किया, जिसके द्वारा इस न्यायालय ने वर्ष 1988 के नजदीकी गांवों के संबंध में अधिग्रहण के लिए प्रति वर्ग गज 297 रुपये की दर से मुआवजे की अनुमति दी है। तथापि यह कहा गया है कि वर्ष 1982 से 1986/1988 के बीच हुए विकास को देखते हुए, इस न्यायालय ने **उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद (उपरोक्त)** ने दावेदारों की ओर से 297 रुपये प्रति वर्ग गज देने का मामला स्वीकार नहीं किया और वर्ष 1982 में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा 120 रुपये प्रति वर्ग गज निर्धारित किया।

4. वर्तमान अपील का विरोध करते हुए, मूल दावेदारों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तरीके से कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए 16/26 वर्षों की देरी को माफ करने में कोई गलती नहीं की है कि दावेदार न्यायसंगत मुआवजे के हकदार हैं।

4.1 यह कहा गया है कि निकटवर्ती गांवों के संबंध में, समान अधिग्रहण के संबंध में वर्ष 2014 में पारित निर्णय और आदेश द्वारा तय किए गए अन्य भूमि

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

मालिकों के मामले को ध्यान में रखते हुए, मुआवजे की राशि को प्रति वर्ग गज 297 रुपये तक बढ़ा दिया गया था। इसी के अनुसरण में, वर्तमान मामले में मुआवजे की राशि 297 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से दी गई है, जिसे अनुचित नहीं कहा जा सकता और उच्च न्यायालय ने कोई गलती नहीं की है।

4.2 मूल दावेदारों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के निम्नलिखित विनिश्चयों पर अत्यधिक अवलम्ब लिया है, जिसकी इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, जिसके द्वारा मुआवजा 297/– रुपए प्रति वर्ग गज अवधारित किया गया है।

<u>सूची</u>

<u>विवरण</u>

मकनपुर गांव में भूमि अधिग्रहण के निर्णयों की सूची

क्रम सं.	**गाँव**	**अधिसूचनाओं की तिथि और क्षतिपूर्ति (प्रति वर्ग गज)**	**न्यायालय का निर्णय**	**पृष्ठ संख्या**
1	मकनपुर, (वैशाली) जिला गाजियाबाद, तहसील दादरी	12.09.1986/ 28.02.1987 **[297/–]**	**एफ.ए. संख्या 910/2000 वाद: जीडीए बनाम काशी राम.** [निर्णय की तिथी: 13.11.2014]. **एसएलपी (सी) संख्या 5815/2015, जीडीए बनाम काशी राम और अन्य** को 15.05.2015 को खारिज की गयी।	**6–26 27–32**

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

			पुनर्विलोकन याचिका(सी) संख्या 2632/2015 06.10.2015 को खारिज की गई। उपचारात्मक याचिका(सी) संख्या 94/2016 दिनांक 15.03.2016 को खारिज कर दी गई।	**33–34** **35–37**
2	मकनपुर, (सेक्टर 62, नोएडा) जिला गौतम बुद्ध नगर, तहसील दादरी	15.03.1988 **[297/–]**	**एफ संख्या 737, नोएडा बनाम सुरेन्द्र सिंह** के वाद में उच्च न्यायालय द्वारा मकनपुर के लिए 135 रू/ की दर से क्षतिपूर्ति देते हुए दिनांक 15.04.2015 के निर्णय को इस न्यायालय द्वारा दीवानी अपील संख्या 1506–1517/2016, **प्रदीप कुमार बनाम उ.प्र. राज्य (2016) 6 एससीसी 308 के वाद में** दिनांक 16.02.2016 के निर्णय के द्वारा अपास्त कर दिया गया था और मुकदमें पर नए सिरे से विचारण के लिए प्रतिप्रेषित कर दिया गया था। प्रतिप्रेषण के बाद, उच्च न्यायालय ने **एफए संख्या 737 में नोएडा बनाम सुरेंद्र सिंह** के साथ नोएडा की अन्य प्रथम अपीलों को खारिज कर दिया और किसानों द्वारा दायर प्रथम अपीलों **(एफए संख्या 522/2009 प्रदीप कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, मुख्य मामला होने से)** को स्वीकार कर लिया और दिनांक **21.04.2016** के अंतिम निर्णय द्वारा प्रति वर्ग गज 297 रुपये का मुआवजा प्रदान किया। इसे अंतिम रूप दे दिया	**38–95** **96–98** **99–124**

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

			गया है। **[नोटः इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध मामलों के वर्तमान समूह में, दिनांक 21.04.2016 के इस फैसले के आधार पर मुआवजा को 297 रुपये प्रति वर्ग गज दिया गया है क्योंकि वे उसी अधिसूचना और उसी गांव (मकनपुर) से संबंधित हैं और उसी संदर्भ न्यायालय के आदेश से उत्पन्न हुए हैं।]**	
3.	मकनपुर, (वैशाली) जिला गाजियाबाद, तहसील दादरी	12.09.1986/ 24.02.1988 **[297/– रुपये]**	इस न्यायालय ने दीवानी अपील संख्या 10429–10430/2017, **नरेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2017) 9 एससीसी 426** के मामले में 297/– रुपए की दर से मुआवजा अधिनिर्णीत किया है।	**125–135**
4.	मकनपुर, (इंदिरापुरम) जिला गाजियाबाद, तहसील दादरी	16.08.1988 **[297/ रूपये]**	इस न्यायालय ने **दीवानी अपील संख्या 16960/2017, जयप्रकाश (डी) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2020) 11 एससीसी 770** में दिनांक 24.11.2017 के निर्णय द्वारा मुआवजे को बढ़ाकर 297 रुपये (**नरेन्द्र के वाद में** अनुसार) कर दिया।	**136–137**
5.	मकनपुर, (इंदिरापुरम) जिला गाजियाबाद,	16.08.1988 **[297/ रूपये]**	इस माननीय न्यायालय ने **दीवानी अपील संख्या 16961/2017, ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में जय प्रकाश (पूर्वोक्त)** के मामले में दिनांक	

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

	तहसील दादरी		24.10.2017 के उसी फैसले के तहत मुआवजे को बढ़ाकर 297/– रुपये कर दिया।	
6.	मकनपुर, (वैशाली) जिला गाजियाबाद, तहसील दादरी	12.09.1986/ 28.02.1987 **[297/ रूपये]**	यह मामला भी उपरोक्त उल्लिखित **काशीराम के निर्णय (पूर्वोक्त)** से उत्पन्न हुआ था। काशी राम मामले में फैसले के बाद, प्रथम अपीलों में से एक ए**फए संख्या 484/2019 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बनाम त्रिलोक चंद एवं अन्य** के मामले में एक प्रार्थना –पत्र सीएमएएन संख्या 194412/2016 दाखिल किया गया था, इसको भी **काशी राम (पूर्वोक्त)** के समूह के साथ निर्णीत कर दिया गया जिसमें 297/– रुपये प्रति वर्ग गज की दर से निर्धारित मुआवजे में से विकास शुल्क के रूप में 33 प्रतिशत कटौती के रूप में निर्णीत कर दिया गया था, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था। **एसएलपी (सी) संख्या 12547/2017, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बनाम त्रिलोक चंद और अन्य** को उक्त खारिज करने के खिलाफ दायर किया गया था, जिसमें नोटिस जारी करते समय, दिनांक 28.04.2017 के आदेश द्वारा, यह विशेष रूप से दर्ज किया गया था कि जीडीए विकास प्रभारों के रूप में 33% की कटौती न होने से व्यथित था।	**138–139** **140–141**

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

			तथापि, उक्त एसएलपी को दिनांक 03.08.2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।	
7.	मकनपुर, (इंदिरापुरम) जिला गाजियाबाद, तहसील दादरी	16.08.1988 **[297/ रूपये]**	इस न्यायालय ने **दीवानी अपील संख्या 9208–9211/2018, मंगू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के मामले में दिनांक 10.09.2018 के फैसले के तहत मुआवजा बढ़ाकर 297/– रुपये कर दिया।	**142–144**

उपरोक्त दलीलों को रखते हुए और उच्च न्यायालय के साथ–साथ इस न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों/आदेशों पर अवलम्ब लेते हुए, यह प्रार्थना की गयी कि वर्तमान अपील को खारिज कर दिया जाए।

5. हमने संबंधित पक्षों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है।

5.1 जहां तक अपीलकर्ता की ओर से दिए गए इन तर्कों का संबंध है कि उच्च न्यायालय ने अपील करने में 16/26 वर्ष के विलंब को माफ करके त्रुटि कारित की है, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिकर की राशि को बढ़ाने और अपील को ग्रहण करते हुए भी, उच्च न्यायालय ने विलंब की अवधि के लिए ब्याज से इंकार कर दिया है और दावेदारों के पक्ष में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया है, हमें अपील करने में विलंब को माफ करने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

5.2 अब जहां तक अपील के गुण–दोष और उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकर की रकम को 297/– रुपए प्रति वर्ग गज तक बढ़ाने के आक्षेपित निर्णय और आदेश का संबंध है और दावेदारों की ओर से उच्च न्यायालय व इस न्यायालय के पूर्वोक्त उल्लिखित विनिश्चयों पर अवलम्ब लेने का संबंध है, प्रारंभ में यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में, अधिग्रहण वर्ष 1982 का है और अन्य सभी मामलों में अधिग्रहण वर्ष 1986/88 का है।उन सभी मामलों में, जहां मुआवजे की राशि 297 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से निर्धारित की गई है, अधिग्रहण वर्ष 1986/1988 के हैं, जो नोएडा/गाजियाबाद के विकास के लिए अधिग्रहित मकनपुर गांव और आसपास के अन्य गांवों के संबंध में है। **नरेंद्र और अन्य (पूर्वोक्त)** के मामले में, इस न्यायालय ने मकनपुर गांव में अधिग्रहीत भूमि और उसी परियोजना के लिए आसपास के अन्य गांवों में अधिग्रहित भूमि के संबंध में मुआवजे की राशि को 297 रुपये प्रति वर्ग गज तक बढ़ा दिया था , लेकिन वह वर्ष 1986/1988 के अधिग्रहण के संबंध में था। तथापि, बाद में **उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (पूर्वोक्त)** के मामले में और वर्ष 1982 के अधिग्रहण के संबंध में ग्राम मकनपुर और ग्राम प्रह्लादगढ़, ग्राम झंडापुर, ग्राम साहिबाबाद, ग्राम अर्थला में स्थित आसपास के अन्य गांवों के संबंध में, **नरेन्द्र और अन्य (पूर्वोक्त)** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने 120 रुपये प्रति वर्ग गज का मुआवजा निर्धारित किया है। उपरोक्त निर्णय में, **नरेंद्र और अन्य (पूर्वोक्त)** के मामले में

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

दिए गए 297 रुपये प्रति वर्ग गज के दावे को स्वीकार करने से इनकार करते हुए, जो 1988 के अधिग्रहण के संबंध में था, इस न्यायालय ने कहा है कि 5 साल बाद की अधिसूचना के आधार पर निर्धारित मुआवजा, उस भूमि के लिए मुआवजा निर्धारित करने का पैमाना नहीं हो सकता है जो पांच साल पहले अधिग्रहित की गई है। इस न्यायालय ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया है कि वर्ष 1982 और 1987/1988 के बीच, विकास गतिविधियां शुरू की गई थीं। **उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (पूर्वोक्त)** के मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को वर्तमान मामले में लागू करते हुए, दावेदार वर्तमान मामले में अधिग्रहण की तारीख से 5 साल के बाद अधिग्रहीत भूमि के संबंध में अधिनिर्णीत उसी मुआवजे के हकदार नहीं होंगे। जैसा कि ऊपर कहा गया है, वर्तमान मामले में, धारा 4 की अधिसूचना 22.11.1982 को जारी की गई थी और ग्राम मकनपुर व अन्य गांवों के संबंध में अवलम्ब लिए गए निर्णय वर्ष 1986/88 के हैं, जो, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (पूर्वोक्त)** के मामले में पूर्वोक्त निर्णय में पाया गया था, आधार नहीं हो सकता है। उपरोक्त परिस्थितियों में, 297/– रुपए प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजा देने का उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश पोषणीय नहीं है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि मूल दावेदार 120/– रुपए प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजा पाने के हकदार होंगे।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारण से, वर्तमान अपील भागतः सफल होती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है। यह आदेश और निर्देश दिया जाता है कि मूल दावेदार भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के तहत अनुमत अन्य सभी वैधानिक लाभों और ब्याज के साथ 120 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजे के हकदार होंगे। तथापि , दावेदार उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने में विलंब की अवधि के लिए , अर्थात पुनर्विलोकन के खारिज होने की तिथी से उच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील दायर करने तक की अवधि के लिए, मुआवजे की बढ़ी हुई राशि पर अधिनियम, 1894 के तहत ब्याज सहित सांविधिक लाभों के हकदार नहीं होंगे।

तदनुसार, वर्तमान अपील को पूर्वोक्त सीमा तक अनुमति प्रदान की जाती है। लागत के लिए कोई आदेश नहीं होगा।

.....

(न्यायमूर्ति एम. आर. शाह)

.....

(न्यायमूर्ति हिमा कोहली)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

नई दिल्ली;

15 दिसंबर, 2022.

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।